तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **श्वेता शर्मा** **बनाम** **जयन्त आर्य व अन्य** **वाद संख्या 282/2021** **सी.एन.आर.नं.आरजेजेएम.04–000913–2021**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13–9–2021	अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा दिनांकः 17.08.2021 को पेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा–151 सीपीसी का इस आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं.01 ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादिनी द्वारा अपने वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में वादग्रस्त सम्पत्ति के सबंध में कोई घोषणात्मक अनुतोष नहीं चाहा गया हैं तथा वर्ष 2008 से उपरोक्त सम्पत्ति में अपने पिता का हिस्सा होना बताया है, परंतु 2008 से तीन वर्ष के अंदर उक्त हिस्से बाबत वादिया के पिता द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। बल्कि प्रस्तुत वाद करीब 13 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं.1 वादिनी के पिता के हिस्से पर बिना किसी ऐतराज के 12 वर्ष से अधिक अवधि से काबिज है। वादिया ने बताया कि उपरोक्त सम्पत्ति में वादिनी के पिता ने 40 प्रतिशत हिस्सा लगाया व सम्पत्ति प्रतिवादी सं.1 के नाम क्रय की गई। वादिनी के कथनानुसार वादिया के पिता ने बैनामी संव्यवहार(धारा–2(9) बैनामी सम्पत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988) के तहत किया था और वादिया के पिता के हिस्से की सम्पत्ति बैनामी सम्पत्ति (धारा–2(8) बैनामी सम्पत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988) है। चूंकि उक्त एक्ट अधिनियम की धारा–3 के अनुसार बैनामी संव्यवहार कानूनन प्रतिषेध है तथा धारा–4 के अनुसार किसी भी बेनामी सम्पत्ति में किसी भी हित, अधिकार आदि के लिये कानूनन किसी भी न्यायालय में वाद पोषणीय नहीं है। साथ ही वादिया ने अपने दावे में यह भी नहीं बताया है कि प्रतिवादी सं.1 को किस दिनांक, महिना व साल को कितने रूपये अदा किये गये हैं। इसलिए प्रतिवादी सं.1 के विरूद्ध उसे कोई वाद–कारण उत्पन्न नहीं होता। उपरोक्त सभी आधारों के अनुसार वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी खारिज किया जाये। प्रतिवादी सं.1 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः–	

अर.राजगोपाल रेड्डी बनाम पदमिनी चन्द्रशेखरन

(1995) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 630

जी. महालिंगप्पा बनाम जी.एम.सवीथा

(2005) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेज 441

में प्रतिपादित किया गया है कि बैनामी संव्यवहार अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता। भारवगी कन्सट्रक्शन और अन्य बनाम कोथाकप्पू मुथय्यम रेडडी एआईआर 2017 सुप्रीम कोर्ट 4428 में यह प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11(डी) व्य.प्र.सं. में विधि शब्द से आशय न केवल विधिक अधिनियम है बल्कि यह सुप्रीमकोर्ट का न्यायिक निर्णय भी है।

वादिनी द्वारा ब्रहमदत्त शर्मा एवं जयंत आर्य के मध्य दिनांक 27.06.2019 को निष्पादित मुख्त्यारनामा न्यायालय के समक्ष दावे के साथ प्रस्तुत किए जाने के सबंध में प्रतिवादी ने उस पर आशय पूर्वक उक्त दस्तावेज छिपाकर कपट किए जाने के कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एस.पी. छिंगालवरिय्या नायडू बनाम जगन्नाथ और अन्य एआईआर 1994 सुप्रीम कोर्ट, 853 एवं दिलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010)सुप्रीम कोर्ट केसेज 114 प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रकिया का दुरूपयोग एवं कपट किए जाने का कथन किया है।

अधिवक्ता वादिनी ने बहस के दौरान लिखित जवाब को दोहराते हुए कहा कि मियाद से सबंधित कथन विधि व तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है तथा उक्त आपत्ति का अंतिम निस्तारण पक्षकारान की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही किया जा सकता है इसलिए प्रतिवादी द्वारा मियाद के सबंध में उठाई गई आपत्ति पोषणीय नहीं है। साथ ही प्रतिवादी सं.1 को उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा माननीय न्यायालय के आदेश से ही वर्ष 2020 में प्राप्त हुआ है व ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी सं.1 को गत 12 वर्ष से अधिक अवधि से विवादित सम्पत्ति पर काबिज होने का कथन गलत साबित होता है। साथ ही घोषणात्मक दावा लाने के अभाव में वादी का वाद कानूनन पोषणीय नहीं होने की आपत्ति भी

खारिज योग्य है। प्रतिवादी सं.1 द्वारा हाजा वाद में प्रश्नगत संव्यवहार को बेनामी संव्यवहार मानते हुए सभी आपत्तियां आधारहीन हैं तथा बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 हाजा वाद पर लागू नहीं होता। अतः प्रतिवादी सं.1 द्वारा उठाई गई समस्त आपत्तियां पक्षकारान की साक्ष्य आने के पश्चात ही तय की जा सकती हैं। चूंकि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रावधानित अधिनियम के सबंध में केवल वादपत्र का अवलोकन किया जा सकता है एवं वादिनी के वादपत्र के अवलोकन से हस्तगत दावा उक्त अधिनियम से बाधित होना जाहिर नहीं होता। इसके अतिरिक्त वाद—कारण तथ्यों का एक समूह है जिसके सबंध में सम्पूर्ण वाद का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादी सं.1 का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये। वादिनी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः—

2017 (1)डीएनजे राजस्थान 330

मान.राज.उच्च न्यायालय (एस.बी.सिविल रिवीजन पिटीशन नं.120/2016, निर्णय दिनांक 08.02.2017)

2017 (2)डीएनजे राजस्थान 665

मान.राज.उच्च न्यायालय (एस.बी.सिविल रिवीजन पिटीशन नं.25/2017, निर्णय दिनांक 03.04.2017)

2017 (4)डीएनजे राजस्थान 1740

मान.राज.उच्च न्यायालय (एस.बी.सिविल रिवीजन पिटीशन नं.159/2016, निर्णय दिनांक 17.10.2016)

2016 (3)डीएनजे राजस्थान 1186

मान.राज.उच्च न्यायालय (एस.बी.सिविल रिवीजन पिटीशन नं.58/2014, निर्णय दिनांक 06.07.2015)

उक्त सभी न्यायिक दृष्टांत मियाद के बिन्दु से सबंधित है, जिनके अनुसार मियाद का प्रश्न विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न

होने से उसका तनकी बनाकर बाद साक्ष्य निर्धारण किया जाना न्यायोचित है।

माननीय राज. उच्च न्ययालय,जयपुर

एस.बी.सिविल रिवीजन पिटीशन नं. 5/2019

2008 SCC On line AII 194: [2008]72

ALR 626:[2009]3AII L.J. [DOC116]31[IDB]

[Allahabad High Court][Lucknow Bench]

माननीय राज. उच्च न्यायालय,जोधपुर

छत्तर सिंह बनाम पृथ्वी सिंह

एसबी.सिविल रिवीजन पिटीशन नं.54/2019

में प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निर्धारण करते समय केवल वादी के वादपत्र के अभिवचनों को ही देखा जायेगा।

2020SCC ONLINE MP 444:2020 AIR

CC1528 [High Court of Madhya Pradesh]

में यह वैल सैटिल्ड लॉ है कि वादी का वादपत्र केवल तभी रिजेक्ट किया जायेगा यदि वह स्पष्ट रूप से विधि द्वारा वर्जित हो तथा उक्त निष्कर्ष केवल वादी के वादपत्र के अभिवचनों से ही निकाला जा सकेगा।

2019[2] CCC 19

SUPREME COURT OF INDIA Civil

Appeal No. 3367 of 2019[Arising out of

Special Leave Petition[Civil] No. 36694 of

2017]titling Pawan Kumar V Babulal & Ors.

HIGH COURT OF DELHI

titling Anis Ur Rehman V Mohd.Tahir & Ors. RFA No. 855/2018

में बैनामी सम्पत्ति प्रतिषध अधिनियम की धारा–4(3) के सबंध में है जो प्रावधान लोपित कर दिये जाने से उक्त न्यायिक दृष्टांत हाजा प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

HIGH COURT OF RAJASTHAN

CIVIL REVISION[CR]NO.156 of 2016

Titling RAM SINGH & anr. V

BALVINDRA SINGH & ORS.

में यह प्रतिपादित किया गया है कि वाद में विवाद्यक बिन्दु विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न होने से इसका निर्धारण साक्ष्य लिये जाने पर ही किया जा सकता है। 2018[2]WLC Raj. 113 Raj.High Court में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां वादी के वादपत्र से वाद–कारण उत्पन्न होना प्रकट होता है लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ऐसे दावे में भी कोई दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत आउट राईटली नामंजूर किया जा सकता है जिससे यह प्रकट होता है कि वादी के वादपत्र से कोई वाद–कारण उत्पन्न होना प्रकट नहीं होता है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। सिविल प्रक्रिया के आदेश 7 नियम 11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई वादपत्र निम्न दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगाः–''जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता; जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया तथा न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय के भीतर ठीक न किया जाये; जहां वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो और न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय के भीतर वादी

अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने में असफल रहे; जहां वादपत्र के कथनों से वाद विधि द्वारा वर्जित होना प्रतीत हो; जहां वादपत्र दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया हो; जहां वादी आदेश 7 नियम 09 के उपबंधो की पालना करने में असफल रहा हो।'' प्रतिवादी सं.1 द्वारा प्रथम आपत्ति यह ली गई है कि वादिनी का दावा घोषणात्मक अनुतोष नहीं चाहे जाने के कारण कानूनन पोषणीय नहीं है। इस सबंध में देखा जाये तो वादिनी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रश्नगत सम्पत्ति को प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने, न उस पर कोई निर्माण कार्य करने, न ही उक्त सम्पत्ति का प्रतिवादी सं.3 से पट्‌टा प्राप्त किए जाने का अनुतोष चाहा है। चूंकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित आधारों में से उक्त आधार दावे को नामंजूर किए जाने का आधार नहीं है कि घोषणात्मक प्रकृति का दावा नहीं लाने पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा चलाना विधि द्वारा वर्जित है,इसलिए उक्त आपत्ति खारिज की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं.1 द्वारा मियाद के सबंध में उठाई गई आपत्ति के सबंध में देखा जाये तो यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि मियाद का प्रश्न तथ्यों एवं विधि का मिश्रित प्रश्न होने से इसका निर्धारण बाद साक्ष्य किया जाना अधिक न्यायोचित प्रतीत होता है। हस्तगत दावे में प्रश्नगत सम्पत्ति के सबंध में वादिनी के वादपत्र से यह जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं.1 ने गोपाल लाल रावत के साथ प्रश्नगत सम्पत्ति का निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 26.08.2008 के आधार पर गोपाल लाल रावत के इजराय प्रार्थनापत्र में बतौर एटोरमेंट प्रतिवादी सं.1 को डिक्रीदार पक्षकार बनाया गया जिसकी अपील वर्तमान में माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-4, जयपुर महानगर प्रथम के समक्ष लम्बित होने का कथन है। इस सबंध में कि प्रतिवादी सं.1 उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति पर बिना एतराज के 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज है, यह तथ्य भी तनकी बनाकर बाद साक्ष्य ही निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त आपत्ति भी पोषणीय नहीं है। इसके

अतिरिक्त प्रतिवादी सं.1 द्वारा ली गई यह आपत्ति कि वादिनी को प्रतिवादी सं.1 के विरूद्ध कोई वाद—कारण उत्पन्न नहीं होता। इस सबंध में वादिनी के वादपत्र के मद सं.16 में अभिवचनों के अनुसार वादिनी के पिता का आकस्मिक देहांत हो जाने के पश्चात प्रतिवादी सं.1 व 2 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय कर प्रयास किए जाने पर दिनांक 15.07.2021 को आम सूचना प्रकाशित करवाया जाना, दिनांक 18.07.2021 को इच्छुक क्रेताओं द्वारा फोन से सम्पर्क किए जाने पर उत्पन्न होने का कथन किया गया। अतः उक्त आपत्ति भी विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न होने से बाद साक्ष्य तय किया जाना अधिक न्यायोचित प्रतीत होता है, अतः आपत्ति खारिज की जाती है।

यह विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निर्धारण करते समय केवल वादी द्वारा प्रस्तुत वापत्र के अभिवचनों को ही विचार में लिया जायेगा। चूंकि प्रतिवादी सं.1 द्वारा हस्तगत प्रकरण में एक मुख्य आपत्ति यह ली गई है कि वादिनी के पिता द्वारा किया गया संव्यवहार बेनामी सम्पत्ति होने तथा खरीदी गई सम्पत्ति बेनामी सम्पत्ति होने से हस्तगत दावा हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। इस सबंध में वादिनी के वादपत्र के अभिवचनों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादपत्र के पैरा सं.6 में वादिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादिनी के पिता द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को क्रय करने पर अदा की गई पूर्ण विक्रय मूल्य से 40 प्रतिशत राशि अदा की गई है तथा उपरोक्त सम्पत्ति के सबंध में मुख्यारनामा दिनांक 15.11.14 जो कि वादिनी के पिता ब्रहमदत्त शर्मा के हक में प्रतिवादी संख्या—1 द्वारा निष्पादित किया गया है, के पृष्ठ संख्या—1 पैरा सं.3 में यह दर्ज किया गया है कि प्रतिवादी सं.1 व 2 का 60 प्रतिशत तथा वादिनी के पिता की 40 प्रतिशत साझेदारी है तथा तीनों की सहमति यह हुई है कि इसकी रजिस्ट्री प्रतिवादी सं.1 जयंत आर्य के नाम से करवा ली जाये। चूंकि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में वादिनी के पिता का 40 प्रतिशत हिस्सा है तथा उनका स्वर्गवास दिनांक 24.05.2021 को हो जाने के पश्चात वादिनी अपने भाई व

बहिनों के साथ उपरोक्त सम्पत्ति में संयुक्त स्वामिनी है, अतः उसे हस्तगत दावा लाने का अधिकार है। वादिनी द्वारा अपने वादपत्र के कथनों के समर्थन में गोपाल लाल रावत द्वारा प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में सम्पादित विक्रयनामा तथा जयंत आर्य द्वारा ब्रहमदत्त शर्मा के पक्ष में निष्पादित मुख्त्यारनामा भी वादपत्र के साथ पेश किया है। चूंकि वादिनी के वादपत्र के उपरोक्त अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं.1 व गोपाल लाल रावत के मध्य सम्पादित विक्रयपत्र में वादिनी के पिता द्वारा की गई कथित साझेदारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है न ही उपरोक्त दस्तावेज में यह अंकित है कि ब्रहमदत्त शर्मा द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की 40 प्रतिशत राशि की अदायगी की गई है एवं उपरोक्त सम्पत्ति में साझेदार हैं। इस प्रकार मूल विक्रयनामा में प्रश्नगत साझेदारी अथवा अदायगी रकम का कोई उल्लेख नहीं जिससे उस तथ्य को मूल विक्रयनामा में छिपाया जाना जाहिर होता है। इस सबंध में प्रतिवादी सं.1 व वादिनी के पिता ब्रहमदत्त शर्मा के मध्य सम्पादित मुख्त्यारनामा में प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय करने में वादिनी के पिता द्वारा 40 प्रतिशत राशि की अदायगी का उल्लेख न करते हुए मात्र यह कथन है कि उपरोक्त प्रश्नगत सम्पत्ति के विक्रय में प्रतिवादी सं.1 व 2 तथा ब्रहमदत्त शर्मा की साझेदारी में सम्पत्ति ली गई है तथा तीनों में सहमति हुई कि रजिस्ट्री जयंत आर्य प्रतिवादी सं.1 के नाम से करवा ली जायेगी। चूंकि उक्त मुख्त्यारनामा केवल प्रतिवादी सं.1 व 2 व वादिया के पिता ब्रहमदत्त शर्मा के मध्य सम्पादित हुआ एवं मूल विक्रयनामे में उक्त तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है। अतः उक्त तथ्य वादिनी के वादपत्र एवं प्रश्नगत विक्रयपत्र दोनों में छिपाया गया है। धारा—2(9) बैनामी सम्पत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के तहत यह स्पष्ट है कि बैनाम संव्यवहार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कोई ऐसा संव्यवहार जहां किसी व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण किया जाता है या वह उसके द्वारा धारित की जाती है और उस सम्पत्ति के लिए प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध

कराया गया है और जहां सम्पत्ति उस व्यक्ति के, जो कि प्रतिफल उपलब्ध कराता है, तुरंत या भावी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे के लिए धारण की जाती है, ऐसा संव्यवहार बेनामी संव्यवहार होगा, सिवाय तब कि ऐसी सम्पत्ति किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता या किसी सदस्य द्वारा उसके अथवा कुटुम्ब के किसी सदस्य के फायदे के लिए सम्पत्ति धारित की जाये अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए वैश्वासिक हैसियत रखता है, धारित की जायेगी एवं अन्य आधार। दौराने बहस अधिवक्ता वादिनी द्वारा मौखिक रूप से एक आधार यह भी लिया गया है कि वादिनी के पिता एवं प्रतिवादी सं.1 व 2 के मध्य वैश्वासिक सबंध होने से प्रश्नगत सम्पत्ति का उनकी साझेदारी में विक्रय किया जाना बेनामी संव्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है। परंतु इस सबंध में वादिनी ने अपने वादपत्र में ऐसे कोई अभिकथन नहीं किये हैं न ही वादिनी के पिता ब्रहमदत्त शर्मा एवं प्रतिवादी सं.1 व 2 के मध्य किसी भी प्रकार की साझेदारी होना अथवा वैश्वासिक सबंध होने के सबंध में कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये गये हैं जिससे वादिनी द्वारा लिया गया यह बचाव स्वीकार्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिनी के वादपत्र के अभिवचनों व प्रस्तुत दस्तावेजों से एवं उस सम्पत्ति को विक्रय के सबंध में किये गये संव्यवहार बेनामी संव्यवहार दर्शित होने से बेनामी सम्पत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम,1988 की धारा—45 के अनुसार सिविल न्यायालय को बेनामी सम्पत्ति संव्यवहार प्रकृति के किसी वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा स्वंय या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के बाबत किसी न्यायालय या किसी मंच द्वारा कोई व्यादेश स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—7 नियम 11 (डी) के अन्तर्गत अस्वीकार कर वादी का वादपत्र नामंजूर किया जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाये। आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **श्वेता शर्मा** **बनाम** **जयन्त आर्य व अन्य** **वाद संख्या 282/2021** **सी.एन.आर.नं.आरजेजेएम.04–000913–2021**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	सुनाया गया। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः पत्रावली बाद तकमील फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संध्या पूनिया)	